

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसील जिला
 स-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रतनागुडा	53,55, 56,28,	दशु-दत्त कुल पंमा	दशमलाल दत्त कुल पंमा

(fhar)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 09/10/2025

क्रमांक :- 125/311

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhar)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 जिला-राजसमन्त